

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज्ञ अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाग

प्रतिवादीगण

शिरचानीराम

रत्नाकरराय

केसम प्रकारण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं.-13 / 2017RP

तारीख दृश्य	दृश्य या कार्यवाही इतिहास जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दृश्य की तारीख में जारी हुये।
15/12	<p>यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन द्वारा 251 क राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्जा रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जाये। 251 क के निर्धारित बिन्दुओं की रिपोर्ट तहसीलदार जायल से मंगवाई जाये। पत्रावली दिनांक 30/6/12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
24/12	<p>पदाकार/पदाकारान के अधिवक्ता</p> <p>पत्रावली नं. 15 आप के द्वारा रिपोर्ट सफाई करवाये गये।</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/भरण अहकाम पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 20.12.12 को प्रस्तुत करें।</p>	
20-9-17	<p>पदाकार/पदाकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/भरण अहकाम पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 2-2-18 को प्रस्तुत करें।</p>	
	<p>पदाकार/पदाकारान के अधिवक्ता</p> <p>2-2-18</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/भरण अहकाम पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 19-2-18 को प्रस्तुत करें।</p>	
	<p>पदाकार/पदाकारान के अधिवक्ता</p> <p>19-2-18</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/भरण अहकाम पर नये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 01-6-18 को प्रस्तुत करें।</p>	
1.5.19	<p>पत्रावली नं. 15 आप के द्वारा रिपोर्ट में पत्रावली अहकाम के तहत आवलिपाल के पत्रावली/पत्रावली का अवनोम्न किया गया। जारी के द्वारा ख. नं. 28015 व 28115 को क्रमशः से ले नया दास्ता प्राप्त हुई। अहकाम जारी किया है जिस के संकेत है तहसीलदार जायल से क्रम रिपोर्ट मंगवायी जाये। पत्रावली डि. 10.5-17 को रिपोर्ट में पेशाये।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

10.5.18

पञ्जावली न्याय आण के आट शिकिड में मज्ज
सेवा केरु लीकरा में पेश हुई। तहसीलदार
जामल ने रिपोर्ट पेश कर अपगत कराया
के खसरा नम्बर 280/5 में मुरहिदा सड़क
बन चुकी है जो कि गिरधारीराम रंग छोपीडेपी
पतिन गुलाराम बजौरा का बहुरातेदारी का
खेत है प्राणी के खेत खसरा नम्बर 05
में मुरहिदा सड़क लग चुकी है तथा प्राणी राजा
नहीं चाहता है। पञ्जावली व तहसीलदार द्वारा
उल्लूख रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रथम
पत्र में प्राणी खसरा नम्बर 281/5 मँजा
कोसेरी में मुरहिदा सड़क बन चुकी है तथा
प्राणी के खेत खसरा नम्बर 05 में मुरहिदा
सड़क लग चुकी है जिस से प्राणी के द्वारा
चाली गड विरिफ पूर्ण हो चुकी है। इस विषे
प्राणी राजा को भाँगे चलाने का कोई ओपिनियन
नहीं है अतः प्राणी सं. 01 से 04 को पकड़
किया जाता है कि प्राणी के खेत प्राणी के खेत
में नया राजा काम नही करे। पञ्जावली
फैलत मुक्त होकर नम्बर से कम होकर इफ्त
दाखिल हो

